(5) डा0 अरूणा नरायन,
वरिष्ठ सलाहकार, — विशेष आमंत्रित
सिफ्सा, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) डा० इरफान वाजिह,
महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन), — विशेष आमंत्रित
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सर्वप्रथम श्री आलोक कुमार, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यो का स्वागत किया गया। मिशन निदेशक महोदय द्वारा लम्बित दावा प्रपत्रों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 21.05.2017 तक संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण अनुभाग में प्राप्त समस्त पूर्ण दावा प्रपत्रों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में कोई भी दावा प्रपत्र लम्बित नही है। तत्पश्चात डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ करते हुये एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये:—

एजेण्डा मद संख्या:—01
(गत् बैठक दिनांक 03 फरवरी 2017 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत् बैठक दिनांक 03 फरवरी 2017 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। तदोपरान्त पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प0क0) द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया।

एजेण्डा मद संख्या:—02
(प्रगति का विवरण)

डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प0क0) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01 अप्रैल 2013 से लागू परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत गठित "परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी उपसमिति" की अब तक कुल 11 बैठकें सम्पन्न हो चुकी है।
योजना के प्रारम्भ से अब तक राज्य स्तर पर कुल प्राप्त क्लेम फार्मों व उनके सापेक्ष निस्तारित दावा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:—

(1) कुल प्राप्त दावा प्रपत्रों की संख्या:— 2205

(2) विगत् बैठकों में समिति के समक्ष प्रस्तुत दावा प्रपत्रों की संख्या:— 1900